भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110 001**

सं.: **3**/ई आर/ई सी आई/पत्र/प्रकार्या./जुडी./एस डी आर/**2016** दिनांक: **18** अगस्त, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय: अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए फार्म 26 में शपथ-पत्रों तथा नामांकन पत्रों को सुरक्षित रखने की अवधि – तत्संबंधी ।

महोदय,

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम **94** के खण्ड **(ग)** में यह उपबंधित है कि उक्त नियम के खण्ड **(क)**, (क क) तथा **(ख)** में उल्लिखित कागजातों को छोड़कर अन्य निर्वाचन कागजातों को आयोग द्वारा यथानिदेशित अवधि के लिए सुरखित रखा जाएगा।

2. नियम **94** के खण्ड **(ग)** के अनुसरण में, आयोग ने विभिन्न दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अवधि निर्धारित की है। इस संबंध में विवरण रिटर्निंग अधिकारियों की हैंडबुक में दिए गए हैं।

3. नामांकन पत्रों तथा शपथ-पत्रों (फार्म **26** तथा सरकारी देयताओं से संबंधित अतिरिक्त शपथ-पत्र) के मामले में अब आयोग ने निदेश दिया है कि इन्हें निर्वाचनों के समाप्त होने के पश्चात् छह वर्षों की अवधि के लिए या निर्वाचन याचिका, यदि कोई हो, के निपटान होने तक या किसी न्यायालय में कोई अन्य वाद/याचिका जिसमें इन दस्तावेजों में से किसी में की गई घोषणाओं में से कोई भी चुनौती के अधीन हो, के निपटान होने तक सुरक्षित रखा जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए सभी अनुसमर्थित दस्तावेजों तथा उनके नामांकन पत्रों को भी इसी प्रकार इतनी ही अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

4. इन निदेशों को राज्य सभा निर्वाचनों तथा विधान परिषद निर्वाचनों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों सहित राज्य में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा रिटर्निंग अधिकारियों को संसूचित किया जाए।

भवदीय,

(एन.टी. भुटिया)
अवर सचिव